

20-02-18

निगरानीकर्ता द्वारा श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित।
प्रतिनिगरानीकर्ता अनिर्वाहित।

निगरानीकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला ने इस निगरानी याचिका पर स्वेच्छापूर्वक बल नहीं देना व्यक्त करते हुये उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया एवं तद्विषयक टीप हांसिये पर अंकित की गई।

अतः बाद विचार निगरानीकर्ता पक्ष के स्वेच्छिक निवेदन पर यह पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो।

(एस0के0गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपस्थापित)